रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122025-268320
CG-DL-E-08122025-268320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5374] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947
No. 5374] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5562(अ).— केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी हुई अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम और ऐसी धाराओं के उपबंधों में प्रयोजनों हेतु, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर्नाटक पावर कॉरपोरेट लिमिटेड, कर्नाटक सरकार का कोई उपक्रम(पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) जिसका कॉरपोरेट कार्यालय संख्या 82, शक्ति भवन, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु -560001 में है, की अधिकारिता में आने वाले स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत, उक्त अनुसूची के स्तंभ(4) के तत्संबंधी प्रविष्टि में उक्त सक्षम प्राधिकारियों के सामने विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्रम संख्या	नियुक्त सक्षम प्राधिकारी का पदनाम	कार्यालय का पता	अधिनियम की धारा	अधिकारिता क्षेत्र का क्षेत्र	
1	2	3	4	5	
1.	1. प्रमुख (भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन) 2. मुख्य अभियंता (खनन)	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीसीएल नया भवन (ड्रग कंट्रोल ऑफिस कॉम्प्लेक्स), प्रथम तल, सं 3 पैलेस रोड, बेंगलुरु – 560001	धारा 4 की उपधारा (3)	(a)	कोयले पूर्वेक्षण के लिए भूमि पर प्रवेश करना और सर्वेक्षण करना।
				(b)	उप-मिट्टी में खुदाई या बोरिंग करना।

	3. अधीक्षण अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया) 4. कार्यकारी अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया)	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नं. 82, शक्ति भवन, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु – 560001		(c)	भूमि में कोयले के पूर्वेक्षण के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।
				(d)	उस भूमि की सीमाएं निर्धारित करना जिसमें पूर्वेक्षण किया जाना है।
				(e)	सीमाएं एवं रेखाएं चिन्हित करना।
				(f)	जहां सर्वेक्षण और रेखाएं चिन्हित करना पूर्ण नहीं किया जा सकता हैं वहाँ खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना और उसके किसी भाग को हटाना।
2	1. प्रमुख (भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन) 2. मुख्य अभियंता (खनन) 3. अधीक्षण अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया) 4. कार्यकारी अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया)	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीसीएल नई इमारत (ड्रग कंट्रोल ऑफिस कॉम्प्लेक्स), प्रथम तल, नं. 3 पैलेस रोड, बेंगलुरु – 560001 कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नं. 82, शक्ति भवन, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु – 560001	धारा 6	संभाव्य रूप से होने वाली क्षति की रकम पर प्रतिकर का संदाय और विवाद को केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट करना।	
3	कोल नियंत्रक	कोल नियंत्रक का कार्यालय, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001	धारा 8	अर्जन के विरुद्ध आपत्तियों की सुनवाई करना और केंद्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	
4	1. प्रमुख (भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन) 2. मुख्य अभियंता (खनन) 3. अधीक्षण अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया) 4. कार्यकारी अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया)	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीसीएल नई इमारत (ड्रग कंट्रोल ऑफिस कॉम्प्लेक्स), प्रथम तल, नं. 3 पैलेस रोड, बेंगलुरु – 560001 कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नं. 82, शक्ति भवन, रेस	धारा 12	व्यक्तियों को भूमि का कब्ज़ा छोड़ने की सूचना देना और उसका कब्ज़ा लेना।	
			धारा 13 की धारा 13 की उपधारा (5) और उपधारा (5A)	भूमि के मुआवजे और भूमि के प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन फायदे का निर्धारण।	
			धारा 13 की उपधारा (6)	अधिनियम के अन्यत्र उपबंधित नहीं की गई क्षति के लिए प्रतिकर का संदाय।	
			धारा 14 की उपधारा (1)	करार द्वारा प्रतिकर का संदाय।	

		कोर्स रोड, बेंगलुरु – 560001	धारा 14 की उपधारा (4)	न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिकर के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना।
			धारा 16	न्यायाधिकरण का पुरस्कार पर ब्याज का संदाय।
			धारा 17	प्रतिकर का संदाय।
5	1. प्रमुख (भूमि अर्जन और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन) 2. मुख्य अभियंता (खनन) 3. अधीक्षण अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया) 4. कार्यकारी अभियंता (दुर्गापुर तारीमार और सरया)	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीसीएल नई इमारत (ड्रग कंट्रोल ऑफिस कॉम्प्लेक्स), प्रथम तल, नं. 3 पैलेस रोड, बेंगलुरु – 560001 कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नं. 82, शक्ति भवन, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु – 560001	धारा 22	किसी संपत्ति में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति।

[फा. सं. 43015/16/2025एलएआईआर]

डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2025

S.O. 5562(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957), the central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Schedule below to be the competent authorities for the purposes of the said Act and for the provisions of sections as are specified against the said competent authorities in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule, in respect of the areas specified in column (5) falling within the jurisdiction of Karnataka Power Corporation Limited, a Karnataka Government Undertaking (Public Sector Unit), having corporate office at No. 82, Shakthi Bhavan, Race Course Road, Bengaluru - 560001, as specified in column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

Serial Number	Designation of the person appointed as competent authority	Official Address
(1)	(2)	(3)
1.	1. Chief (land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement) 2. Chief Engineer (Mines) 3. Superintending Engineer (Durgapur Taraimar & Sarya) 4. Executive Engineer (Durgapur Taraimar & Sarya)	Karnataka Power Corporation Limited KPCL New Building (Drug Control Office Complex), 1st Floor, No.3 Palace Road, Bengaluru-560001, Karnataka Power Corporation Limited No. 82, Shakthi Bhavan, Race Course Road, Bengaluru -560001, and

2	1. Chief (land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement) 2. Chief Engineer (Mines) 3. Superintending Engineer (Durgapur Taraimar and Sarya) 4. Executive Engineer (Durgapur Taraimar and Sarya)	Karnataka Power Corporation Limited KPCL New Building (Drug Control Office Complex), 1st Floor, No.3 Palace Road, Bengaluru-560001, and Karnataka Power Corporation Limited No. 82, Shakthi Bhavan, Race Course Road, Bengaluru -560001.
3	Coal Controller	Office of the Coal Controller,1, Council House Street, Kolkata-700001.
4	1. Chief (land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement) 2. Chief Engineer (Mines) 3. Superintending Engineer (Durgapur Taraimar and Sarya) 4. Executive Engineer (Durgapur Taraimar and Sarya)	Karnataka Power Corporation Limited KPCL New Building (Drug Control Office Complex), 1st Floor, No.3 Palace Road, Bengaluru-560001, and Karnataka Power Corporation Limited No. 82, Shakthi Bhavan, Race Course Road, Bengaluru -560001.
5	1. Chief (land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement) 2. Chief Engineer (Mines) 3. Superintending Engineer (Durgapur Taraimar and Sarya) 4. Executive Engineer (Durgapur Taraimar and Sarya)	Karnataka Power Corporation Limited KPCL New Building (Drug Control Office Complex), 1st Floor, No.3 Palace Road, Bengaluru-560001, and Karnataka Power Corporation Limited No. 82, Shakthi Bhavan, Race Course Road, Bengaluru -560001.

[F. No. 43015/16/2025-LAIR]

Dr. MANIK CHANDRA PANDIT, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.08 16:07:35 +05'30'